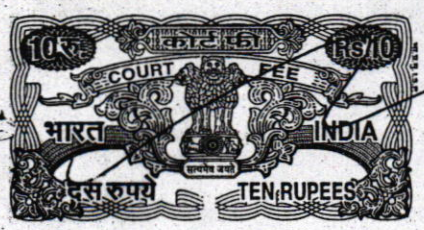

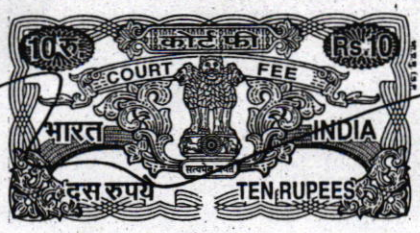

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(८५)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2016 नि-3302 II 16

शिवनारायण आ. श्री श्रीकिशन आयु वयस्क
निवासी ग्राम सोनकच्छ तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 |.................................निगरानीकर्ता

विरुद्ध

देवकुँवर बाई पत्नि हेमसिंह आयु वयस्क
निवासी कृषक ग्राम सोनकच्छ तहसील व जिला
सीहोर म0प्र0 |..रेस्पाण्डेंट

(152)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30/08/2016 प्रकरण कमांक 06/अ-70/14-15 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. **प्रकरण कमांक 06/अ-70/14-15 देवकुँवर बाई विरूद्ध शिवनारायण नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर**
02. **प्रकरण कमांक 33/अ-12/13-14 नायब तहसीलदार महोदय टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 दिनांक 30/06/2014 सीमांकन प्रकरण ग्राम सोनकच्छ टप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता आदेश दिनांक 30/08/2016 से दुखी एंव प्रभावित होकर प्रकरण कमांक 06/अ-70/14-15 में की जा रही कार्यवाही से प्रभावित एंव दुखी होकर निम्न निगरानी उचित समय सीमा में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट/अनावेदिका द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर विधि विरुद्ध तरीके से दिनांक 30/06/2014 को दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण कमांक 33/अ-12/13-14 के माध्यम से संलग्न पंचनामे एवं प्रतिवेदन दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3502–दो/16 **जिला** सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शिवनारायण विरूद्व देवकुंवर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-9–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 6/अ–70/ 14–15 में पारित आदेश दिनांक 30.8.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदिका देवकुंवर बाई पत्नि हेमसिंह निवासी कृषक ग्राम सोनकच्छ तहसील व जिला सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14 द्वारा सीमांकन धारा 129 के तहत कराया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक शिवनारायण पुत्र श्री श्रीकिशन निवासी ग्रम सोनकच्छ तहसील जिला सीहोर ने इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुंत की है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के माध्यम से संलग्न पंचनामें एवं प्रतिवेदन दिनांक 30.6.14 को आधार	

बनाकर अवैधानिक सीमांकन धारा 129 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत **अवैधानिक** सीमांकन कराया गया है।सीमांकन की सूचना **मेढ़िया कृषक** को एवं निगरानीकर्ता को विधिवत सूचना पत्र जारी **किये बगैर राजस्व प्रकिया** के विपरीत जाकर अवैधानिक एवं दूषित **प्रकिया का पालन** करते हुये भूमि का सीमांकन किया गया एवं **सीमांकन** प्रकरण के आधार पर अनावेदिका द्वारा किसी **प्रकार का** अधिकार पत्र अपनी ओर से अपने पति को प्रदान किये बगैर एवं किसी प्रकार दस्तावेज जो कि साक्ष्य अधिनियम के तहत पढ़ा जा सके एवं पावर दिये बगैर मूल भूमिस्वामी देवकुंवर न्यायालय में उपस्थित हुये बगैर सहखातेदार को सूचना दिये बगैर सीमांकन की प्रकिया कराई गई है वह अवैधानिक है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अवैधानिक आदेश को निरस्त किया जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5– प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि

अनावेदक द्वारा आवेदक को धारा–32 के आवेदन की प्रति आवेदक को प्रदाय की है और अभी प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में आपत्ति आवेदन पर प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 8.9.16 नियत थी, उसके विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है जिससे यह ज्ञात होता है कि आवेदन प्रकरण को लंबित रखना चाहता है क्यों कि अभी उस न्यायालय में आपत्ति आवेदन का क्या निर्णय हुआ यह बताने में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभी आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर है और वह अपना पक्ष तहसीलदार के न्यायालय में रख सकता है। परिणामस्वरूप यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने के कारण अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य